

भाग-II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7	परियोजना/स्कीम का स्थान	<p>जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में एन०एच० 507ए (मरोड-दोबाटा बैण्ड) बड़कोट, एन०एच० 134 (पुराना 94) दोबाटा बैण्ड (बड़कोट) जानकीचट्ठी (यमुनोत्री) में मोटर मार्ग के किनारे आपटीकल फाईबर केविल विछान हेतु 0.97 हेक्टर वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लिंग हाथी बड़कला देहरादून को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव</p>
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	उत्तरकाशी
(iii)	वन प्रभाग	अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।
(iv)	वनेत्र प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र है० मे	0.97 हेक्टर
(v)	वन की कानूनी स्थिति	<p>आरक्षित वन भिरौन्था 1ए, देवराना 8, भाटिया 10, कन्सेरू 10ए, कन्सेरू 1, बड़कोट 10 व 12, बड़कोट 5बी, बड़कोट 4, बड़कोट 3, पत्थरगाड़ 3, 2, 1, बड़कोट 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 नन्दगांव 3, 4, 2, स्यालना 1, 6, 7, कुथनौर 1ए, किसाला 6, पाती 1ए, पाती 18ए, ओजरी 1ए, 2ए, 3, 6, 7, 8 कुपड़ा 6बी, राना 1डी, 1ए, 3, डिंगडारा 7ए, 6, 5ए – 0.44 हेक्टर सिविल सौयम भूमि – 0.53 हेक्टर</p> <p>कुल क्षेत्रफल – 0.97 हेक्टर</p>
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.1
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणामना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ०आर०एल०-2मीटर पर परिणामना और एफ०आर०एल०-4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित निर्माण स्थल पर विभिन्न प्रजाति/व्यास वर्ग के कोई वाधित नहीं हो रहे हैं।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	इस बावत प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भू-वैज्ञानिक का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(ix)	वनेत्र प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित/चयनित स्थल से वन सीमा की दूरी 0.10 किमी० के अन्तर्गत है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है। (यदि हाँ क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)	नहीं।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती हैं। यदि हाँ तो तत्संबंधी व्यौरा दें।	प्रस्तावित क्षेत्र में चीड़, बाज, मेहल, लूदर, अयार, कुकाट, चमखड़ीक, बुरास, खड़िक, उत्तीस, कैल, अंगा, भड़िर आदि तथा वन्य जीवों में गुलदार, कालाभालू, बन्दर, काकड आदि मौजूद हैं परन्तु ये संकटापन्न वन प्रजाति/वन्य जीव में नहीं आते हैं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित हैं यदि हाँ तो तदसम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति के प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो या,	नहीं। इस बावत प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
8	प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा भाग-1 कालन-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मद वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं।

	<p>प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा-</p> <p>प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।</p>	<p>प्रस्ताव 1 हे0 से कम होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना नहीं बनाई जानी है। इसके ऐवज में 100 वृक्षों का प्रावकलन रु0 1.10 लाख रु0 प्रावकलन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।</p>
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता है।	उपरोक्तानुसार
(iii)	रेपिट की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	<p>प्रजातिया-जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियाँ।</p> <p>कार्यान्वयन ऐजेंसी-स्वयं वन विभाग</p> <p>समय-उच्चस्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर लागत— प्रस्ताव 1 हे0 से कम होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना नहीं बनाई जानी है। इसके ऐवज में 100 वृक्षों का प्रावकलन रु0 1.10 लाख रु0 प्रावकलन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।</p>
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	प्रस्ताव 1 हे0 से कम होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना नहीं बनाई जानी है। इसके ऐवज में 100 वृक्षों का प्रावकलन रु0 1.10 लाख रु0 प्रावकलन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्रावकलन प्रतिहस्ताक्षरित व प्रमाणित कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (Xi,xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारी फील्ड स्टाफ राजस्व विभाग, एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षर करके प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया जो प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
12.	विभाग /जिला प्रोफाइल	अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट जिला उत्तरकाशी
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	801600.00 है0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	695783.35 है0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 101 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्रफल 150.6205 है0
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि— (ख) वनेतर भूमि पर..... तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	क— 270.255 है0 ख— —
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर.....	क— 34.27 है0 ख— 190.35 है0
13-	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित आपटीकल फाईवर केविल मोटर मार्ग के किनारे बिछाया जाने का कार्य तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिपेक्ष में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक ३०.11.18 को प्रश्नगत भूमि का स्थलीय निरीक्षण किये जाने के उपरान्त जनहित में आपटीकल फाईवर केविल बिछाने की संस्तुति की जाती है।

दिनांक 30.11.18

स्थान बडकोट

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
(उत्तरकाशी)



कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,

फोन/फैक्स नं०- 01375-224233

E-Mail

Uttarkayadivision.com

पंत्राक- 1647 /12-1 दिनांक, बड़कोट, जनवरी, ०१ , २०१९।

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय—

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या— 507ए(मरोड—दोबाटा बैण्ड) राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या— 134 (पुराना राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या— 94) दोबाटा बैण्ड (बड़कोट) जानकीचट्टी (यमुनोत्री) में ऑप्टिकल फाइबर केबिल विछाने हेतु ०.९७ हेठली वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम १९८० के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलाइन्स जियो इनफोकॉम लिए हाथी बड़कला, देहरादून को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑन लाईन के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। प्रभाग स्तर से ऑन लाईन पार्ट-२ में भरी जाने वाली सूचना भरने के पश्चात प्रस्ताव ऑन लाईन आपको प्रेषित किया जा रहा है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 30.11.2018 को प्रश्नगत फाइबर केबिल विछाने का कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। उक्त कार्य की संस्तुति की जाती है।

भवदीय

(जी०पी०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।